



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/84/21

Date : 8.2.2021

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज


विषय:- श्री बद्री प्रसाद द्विवेदी, सी.एच.आई./कानपुर के जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमती रामा देवी, सफाई कर्मी अधीनस्थ सी.एच.आई./कानपुर की शिकायत पर मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर ने श्री बद्री प्रसाद द्विवेदी CHI/CNB के विरुद्ध जांच करने का आदेश दिनांक 9.12.2020 को पारित कर जांच अधिकारी के रूप में डा0 सरिता चौधरी, ए.सी.एम.एस. को नामित किया जिसपर श्री बद्री प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र दिनांक 11.12.2020 द्वारा CMS/CNB से जांच अधिकारी बदलने के लिये अनुरोध किया जिसपर CMS/CNB ने एक और जांच कराया और जांच अधिकारी बदलने से इन्कार कर दिया जो न्याय संगत नहीं है।

अवगत कराना है कि NCRES के मण्डल अध्यक्ष, प्रयागराज मण्डल, ने भी अपने पत्र दिनांक 12.1.2021 द्वारा और स्वयं मिलकर सी.एम.एस./कानपुर से जांच अधिकारी बदलने का आग्रह किया लेकिन अभी तक जांच अधिकारी में बदलाव नहीं किया गया जिससे NCRES के कैंडर में असंतोष व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में NCRES का मानना है कि कोई भी कर्मचारी यदि न्याय की दृष्टिकोण से जांच अधिकारी बदलने का अनुरोध करता है तो जांच अधिकारी बदल दिया जाना चाहिये, अतः NCRES का अनुरोध है कि प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) को ध्यान में रखते हुये जांच अधिकारी बदलने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करे जिससे निष्पक्ष जांच सम्भव हो सके व औद्योगिक सम्बन्ध भी बेहतर बने रह सके।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज